BRJE010112812023

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनु.जा./अनु.जन.जा.), जहानाबाद। उपस्थितः– अरुण कुमार शर्मा सत्र वाद संख्या –959/2023 (संबंधित अरवल महिला थाना कांड संख्या 37 सन् 2023)	
सूचिका	राज्य द्वाराः–सूचिका–सह–पीड़िता।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ से :– श्री शारदानन्द कुमार, लोक अभियोजक।
अभियुक्त	बिमलेश कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता नुनु यादव, साकिन प्रयागबिगहा, थाना करपी, जिला अरवल।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्त की तरफ से :– श्री संजय कुमार चौधरी, विद्वान अधिवक्ता।
घटना की तिथि	21-07-2023
प्राथमिकी की तिथि	10-08-2023
आरोप पत्र की तिथि	24-11-2023
आरोप विरचन की तिथि	15-01-2024
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	09-02-2024
निर्णय तय करने की तिथि	24-04-2026
निर्णय की तिथि	30-04-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	-

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छुटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1	बिमलेश कुमार	04.09.2024	–	धारा 376, 342, 506 भा0द0वि0	दोषमुक्त	–	–

साक्ष्य का परिशिष्ट

अनुक्रमणिका

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची

A. अभियोजन :–

रैंक	नाम	गवाह की प्रकृति(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सा गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी. डब्लू. 1	शोभा देवी	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 2	डॉ0 अशोक कुमार ओझा	चिकित्सक गवाह
पी. डब्लू. 3	डॉ0 काजल किरण	चिकित्सक गवाह
पी. डब्लू. 4	संगीता कुमारी	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 5	जयप्रकाश सिंह	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 6	सरस्वती कुमारी	अनुसंधानक गवाह

B. बचाव पक्ष साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची

A. अभियोजन प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी1/ पी. डब्लू. 2	अभियोजन साक्षी संख्या 02. डॉ0 अशोक कुमार ओझा द्वारा चिकित्सीय प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।
2.	प्रदर्श पी2/ पी. डब्लू. 4	अभियोजन साक्षी संख्या 04. संगीता कुमारी द्वारा लिखित आवेदन पर पीड़िता के हस्ताक्षर की पहचान की गई।
3.	प्रदर्श पी3/ पी. डब्लू. 6	अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी द्वारा लिखित आवेदन के पृष्ठांकन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।
4.	प्रदर्श पी4/ पी. डब्लू. 6	अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी द्वारा औपचारिक प्राथमिकी पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की गई।
5.	प्रदर्श पी5/ पी. डब्लू.6	अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी द्वारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान पर पीड़िता हस्ताक्षर की पहचान की गई।
6.	प्रदर्श पी6/ पी. डब्लू.6	प्रोजेक्ट कन्या ईन्टर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उम्र सत्यापन प्रमाण पत्र।

7.	प्रदर्श पी7/ पी. डब्लू. 6	अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी द्वारा आरोप पत्र पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की गई।

B. बचाव पक्ष प्रदर्श :— कोई नहीं।

C. न्यायालय प्रदर्श :— कोई नहीं।

क वस्तु प्रदर्श :— कोई नहीं।

निर्णय

1. प्रस्तुत निर्णय में इस वाद की सूचिका—सह—पीड़िता की पहचान को गुप्त रखने के लिए इस निर्णय में उसके नाम की जगह उसे ''पीड़िता'' से सम्बोधित किया जा रहा है।

2. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त बिमलेश कुमार के विरूद्ध अंतर्गत धारा 376, 342, 506 भा0द0वि0 के लिये विचारण किया गया है।

3. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वर्ष 2021 में बिमलेश कुमार सूचिका की चचेरी बहन की शादी में आया था तथा उसी समय से उससे हसी मजाक करते हुए अश्लील हरकत करने लगा और बोलता था कि किसी को बताना नहीं है। इन्टर करने के बाद तुमको नौकरी लगवा दुंगा, इसी क्रम में वर्ष 2021 में हीं उसे अकेला पाकर जबर्दस्ती उससे शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया और विडियो बना लिया तथा बाद में बोला कि तुम्हारे साथ उसका अश्लील विडियो है। तुम विरोध करोगी तो वायरल कर दुॅगा तथा तुम्हारा परिवार के इज्जत मिट्टी में मिला दुॅगा। वह डर से किसी को नहीं बताई। इसी क्रम में सूचिका की शादी ग्राम सगाही जिला गया में तय हो गया तो जहॉ शादी तय हआ उस लड़का से भी बिमलेश कुमार सम्पर्क कर लिया और बोला कि आपका जहॉ शादी तय हुआ है उसके रिश्तेदार लगते है। तुम्हारा शादी नहीं होने देंगे। दिनांक 21.07.2023 को पटना में मारपीट करके शादा कागज पर हस्ताक्षर बनवा लिया और बोला कि उससे शादी करना होगा एवं सूचिका के परिवार के इज्जत वर्बाद करने के नियत से अश्लील विडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं शादी होने वाला लड़का के व्हाट्सएप्प पर वायरल कर दिया। बिमलेश कुमार शादी शुदा व बाल बच्चेदार व्यक्ति है, लेकिन असमाजिक तत्वों से सांठ—गांठ रखता है एवं उसकी माता ललमतीया देवी, नुनु यादव, अखिलेश्वर कुमार ने मिलकर षडयंत्र रचकर घटना को अन्जाम दिया है।

4. सूचिका के दिये गये आवेदन के आधार पर अरवल महिला थाना कांड संख्या 37/2023, दिनांक 10.08.2023 अंतर्गत धारा 376, 109, 120बी भा0 द0 वि0 एवं 66(ई), आई0टी0 एक्ट के अधीन अभियुक्त बिमलेश कुमार, लालमतिया देवी, नुनु यादव, अखिलेश्वर कुमार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात इस कांड में बनाए गए प्राथमिकी अभियुक्तगण अखिलेश कुमार, नुनु यादव व ललमतिया देवी को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए प्राथमिकी अभियुक्त बिमलेश कुमार के विरूद्ध घटना सत्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या 35/2023 दिनांक 24.11.2023 अन्तर्गत धारा 376, 342, 506 भा0द0वि0 में न्यायालय में समर्पित किया गया।

5. इस मामले में एस0डी0जेएम0, अरवल द्वारा अभियुक्त बिमलेश कुमार के विरूद्ध अंतर्गत धारा 376, 342, 506 भा0द0वि0 में अपराध का संज्ञान लिया गया तथा मामले को दौरा सुपूर्द किया गया। यह अभिलेख श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां से स्थानांतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

6. इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 376, 342, 506 भा0द0वि0 में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

7. इस मामले में अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्त का बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में काई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

8. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मंतव्य

9. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 06 साक्षियों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 02. डॉ0 अशोक कुमार ओझा, अभियोजन साक्षी संख्या 03. डॉ0 काजल किरण, अभियोजन साक्षी संख्या 04.

संगिता कुमारी, अभियोजन साक्षी संख्या 05. जयप्रकाश सिंह एवं अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श अंकित कराया है:–

<u>प्रदर्श पी.1/पी.डब्लू2</u> - अभियोजन साक्षी संख्या 02. डॉ0 अशोक कुमार ओझा द्वारा चिकित्सीय प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

<u>प्रदर्श पी.2/पी.डब्लू4</u>– अभियोजन साक्षी संख्या 04. संगीता कुमारी द्वारा लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

<u>प्रदर्श पी.3/पी.डब्लू6</u> – अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी द्वारा लिखित आवेदन के पृष्ठांकन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

<u>प्रदर्श पी.4/पी.डब्लू6</u> –अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी द्वारा औपचारिक प्राथमिकी पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की गई।

<u>प्रदर्श पी.5/पी.डब्लू6</u> – अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी द्वारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

<u>प्रदर्श पी.6/पी.डब्लू6</u> –प्रोजेक्ट कन्या ईन्टर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उम्र सत्यापन प्रमाण पत्र।

<u>प्रदर्श पी.7/पी.डब्लू6</u> – अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी द्वारा आरोप पत्र पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की गई।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पीड़िता मेरी बेटी है। घटना के समय मेरी बेटी इन्टर पास की थी। घटना दिनांक 21.07.2023 की है। बिमलेश कुमार मेरे घर आता जाता था, क्योंकि बिमलेश मेरे गॉव के गौतनी की बेटी का देवर है। बिमलेश अपने भाई के साथ भी आता जाता था। कुछ दिन के बाद बिमलेश अकेले आने जाने लगा। इसी दौरान मेरी बेटी से बातचीत करने लगा। उसके बाद हमलोग से बोला कि यह इन्टर पास कर गयी है, इसका नाम जी.एन.एम., पटना में लिखवा दिजिए। बिमलेश कुमार और मेरे पति ने मेरी बेटी का नाम जी.एन.एम. कॉलेज, पटना में करवा दिया। पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद घर आयी तो उसके बाद दुसरी बार घर से कॉलेज जाते समय जब मेरी बेटी हार्डिंग पार्क गाड़ी से उतरी

तो वहॉ बिमलेश कुमार मिला और मेरी बेटी से बोला कि चलो तुम्हें हॉस्टल में छोड़ देते है। इसपर मेरी बेटी उसके बाईक पर बैठ गयी और बिमलेश मेरी बेटी को हॉस्टल ले जाने बजाय जहानाबाद लेकर चले आया। जहानाबाद में मेरी बेटी को कमरे में बन्द करके रखा और गंभीर रूप से मारपीट किया और बिमलेश कुमार मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। किसी तरह मेरी बेटी मौका पाकर मेरे घर फोन की तो सूचना मिलने पर मेरे पति व देवर जहानाबाद आये। मेरे पति व देवर को देखकर बिमलेश वहॉ से भाग गया उसके बाद मेरी बेटी को लेकर वे लोग घर आ गये। बेटी घर आने के बाद सारी घटना हमलोग से बतायी। घटना की जानकारी के बाद हमलोग बिमलेश को खोजने लगे तो बिमलेश हमलोगों को फोन से बोला कि लड़की की शादी मुझसे कर दिजिए नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे और जिससे शादी तय की है उस लड़के को वीडियो भेज देंगे। बिमलेश मेरी बेटी का वीडियो वायरल कर दिया। बिमलेश हमलोग पर झुठा आरोप लगाकर हमलोग पर केस किया था, इसके बाद मेरी बेटी थाना पर जाकर आवेदन दी थी। मेरी बेटी का बयान कोर्ट में हुआ और मेडिकल सदर अस्पताल, अरवल में हुआ था। मैंने पुलिस को अपना बयान दिया था। मुदालय आज न्यायालय में उपस्थित है को देखकर पहचानती हूँ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि बिमलेश कुमार मेरे रिश्तेदार है। बिमलेश कुमार जब मेरे घर आता–जाता था, तो हमलोगों को कोई शिकायत नहीं था। इस घटना के बारे में मुझे मेरी बेटी से पता चला था। इस घटना के बारे में मुझे मेरी बेटी ने किस तारीख को बताई थी, यह मुझे याद नहीं है। इस घटना के बारे में मुझे जिस दिन मेरी बेटी ने बताई, उसकी सूचना पुलिस में उसी दिन नहीं दिए। शादी करने के लिए मेरी बेटी को दिए गए धमकी के संबंध में मैंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। विडियो किस तारीख को वायरल किया, वह तारीख मुझे याद नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जैसा मैंने बयान दिया है वैसा कोई घटना नहीं घटी है। ऐसी बात नहीं है कि इस केस की पीड़िता मेरी बेटी है, इसलिए मैंने झुठी गवाही दी है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 02. अशोक कुमार ओझा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि On 11.08.2023 I was posted as medical officer, sadar Hospital Arwal. On that day the medical board was constituted by the order of Deputy Superintendent Sadar Hospital Arwal Vide Letter No 802 (RKS) dt 11-08-2023, consitituted consiting of Dr. Ashok Kumar Ojha, MO, Sadar hospital Arwal, Dr Kajal Kiran M.O. Sadar Hospital Arwal and Dr Umesh Prasad, M.O Sadar Hospital Arwal

for examination of Punam Kumari, D.O Jai Prakash Singh, Vill Pachubigha, P.S Karpi, Dist- Arwal. The person brought by Sarswati Bharti, SHO Mahila Thana Arwal. Medical Board constituted for examination. I have found following :-

1. M.I -Black mole just above left eye.
2. Time of examination- 10:54 A.M Date 11-08-2023
3. External Injury- No external Injury present.
4. Pregnency test- Negative.
5. Secondary sexual character- Breast well developed, axillary hair, pubic hair are adult type.
6. Status of hymen and presence of internal injury- hymen layer ruptured.
7. Internal injury is not present.
8. Presece of foreign body in private part- Not detected.
9. Status of sexual contact- Hymen layer rupture. Recent intercourse is not confirmed
10. Vaginal Swab report- on microscopic examination epithelial cells 05-10/H.P.F.
11. W.B.C.- 0-1/H.P.F
12. R.B.C – Nil

Spermotozoa not found.

Approximate age – By external appearance, radiological examination and molar eruption, the age of victim is above 20 years. But below 22 years.

All the members of board prepared the report and it bears the signature of Dr Kajal Kiran, Dr Umesh Prasad and mine. The Injury report is typed by data entry operator Anand Kumar on the dictation of all the board members. The above examination report is already marked as **Exibit P-1/PW2**.

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि

13. During the examination of victim, I have not found any marks of struggle on her body.
14. During the examination of victim, I have not found any recent sign of intercourse.

15. Hymen may be ruptured due to many reasons, as cycling, lifting of heavy weight and fast running etc.
16. Hymen ruptured is not a conclusive proof of rape.

12. अभियोजन साक्षी संख्या 03. डॉ0 काजल किरण ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि On 11.08.2023 I was posted as medical officer, sadar Hospital Arwal. On that day the medical board was constituted by the order of Deputy Superintendent Sadar Hospital Arwal Vide Letter No 802 (RKS) dt 11-08-2023, consitituted consiting of Dr. Ashok Kumar Ojha, MO, Sadar hospital Arwal, Dr Kajal Kiran M.O. Sadar Hospital Arwal and Dr Umesh Prasad, M.O Sadar Hospital Arwal for examination of Punam Kumari, D.O Jai Prakash Singh, Vill Pachubigha, P.S Karpi, Dist-Arwal. The person brought by Sarswati Bharti, SHO Mahila Thana Arwal. Medical Board constituted for examination. I have found following :-
1. M.I -Black mole just above left eye.
2. Time of examination- 10:54 A.M Date 11-08-2023
3. External Injury- No external Injury present.
4. Pregnency test- Negative.
5. Secondary sexual character- Breast well developed, axillary hair, pubic hair are adult type.
6. Status of hymen and presence of internal injury- hymen layer ruptured.
7. Internal injury is not present.
8. Presece of foreign body in private part- Not detected.
9. Status of sexual contact- Hymen layer rupture. Recent intercourse is not confirmed
10. Vaginal Swab report- on microscopic examination epithelial cells 05-10/H.P.F.
11. W.B.C.- 0-1/H.P.F
12. R.B.C – Nil
Spermotozoa not found.
Approximate age – By external appearance, radiological examination and molar eruption, the age of victim is above 20 years. But below 22 years.

All the members of board prepared the report and it bears the signature of Dr Kajal Kiran, Dr Umesh Prasad and mine. The Injury report is typed by data entry operator Anand Kumar on the dictation of all the board members. The above examination report is already marked as **Exibit P-1/PW2.**

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि

13. During the examination of victim, I have not found any marks of struggle on her body.

14. During the examination of victim, I have not found any recent sign of intercourse.

15. Hymen may be ruptured due to many reasons, as cycling, lifting of heavy weight and fast running etc.

16. Hymen ruptured is not a conclusive proof of rape.

13. अभियोजन साक्षी संख्या 04. संगीता कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पीड़िता मेरी गोतनी की लड़की थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र मैंने आज न्यायालय में दाखिल किया है। महिला थाना अरवल में मेरी जैधी/गोतनी की लड़की/ पीड़िता द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था, जो थाना के कर्मी सरस्वती भारती द्वारा लिखा गया था, जिसे पढ़ व समझकर मेरी जैधी ने अपना हस्ताक्षर बनाया था, मैं लिखित आवेदन पर पीड़िता के हस्ताक्षर को देखकर पहचानती हूँ, सम्पूर्ण लिखित आवेदन को प्रदर्श P-2/PW4 अंकित किया जाता है। घटना वर्ष 2023 की है। पीड़िता के साथ बिमलेश कुमार आता–जाता था और बिमलेश पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका विडियो बना लिया था। पीड़िता का जब शादी तय किया गया तो बिमलेश ने कहा कि शादी नहीं करो, नहीं तो मैं उसका विडियो वायरल कर दुंगा। अन्त में बिमलेश ने पीड़िता का विडियो वायरल कर दिया। विडियो वायरल करने में बिमलेश व उसके कई दोस्त शामिल थे। विडियो वायरल कर देने के कारण लोक व लाज के डर से पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस में मेरा बयान हुआ था। पीड़िता का बयान न्यायालय में भी हुआ था। आज न्यायलय में उपस्थित अभियुक्त बिमलेश को देखकर गवाह कहती है कि मैं इसे पहचानती हूँ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेरी जैधी पीड़िता व बिमलेश आपस में रिश्तेदार है। पीड़िता का बिमलेश के साथ आने–जाने में कभी किसी ने रोका टोका नहीं था। पीड़िता व बिमलेश के मिलने की शिकायत

अगल–बगल के लोगों से नहीं की गई। रिश्तेदारी के कारण हीं दोनों के बीच हशी–मजाक होता था। घटना के संबंध में मैंने अपने स्तर से कोई छानबिन नहीं की। पुलिस ने मेरा बयान घटना के एक–दो दिन के बाद अरवल महिला थाना पर लिया था। उसी दिन मेरे बयान के अलावा पीड़िता का मॉ का बयान हुआ था। मैंने अपनी आंखो से बिमलेश को पीड़िता के साथ हसी–मजाक करते नहीं देखा था। मैंने पुलिस को बयान दिया था कि विडियो वायरल कर दिया और जिसके कारण पीड़िता आत्महत्या कर ली थी। ऐसी बात नहीं है कि सूचिका मेरी गोतनी के बच्ची होने के कारण आज न्यायालय में मैं झुठी गवाही दे रही हूॅ। ऐसी बात नहीं है कि जैसा मैंने मुख्य परीक्षण में बताया है, वैसी कोई घटना बिमलेश के द्वारा कारित नहीं की गई है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पहली बार आज न्यायालय में बताया है कि बिमलेश के द्वारा विडियो वायरल कर देने के कारण पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 05. जय प्रकाश सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पीड़िता मेरी बेटी थी। पीड़िता ईन्टर पास थी। बिमलेश कुमार ने बोला कि नर्सिंग चेतन्या कॉलेज में नामांकन के नाम पर पटना गांधी मैदान 10 नंबर गेट के पास लेकर गया। वहॉ जाने के बाद मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर अपने घर चला अया नामांकन में पॉच हजार रूपया लगा था। इसी क्रम में मेरी बेटी से बात चीत करने लगा उसके बाद जब अपनी बेटी की शादी ठीक कर लिये थे। शादी के छेका में बिमलेश गया और मेरे होने वाले जमाई से 80 हजार रूपया नर्सिंग में नामांकन के नाम पर ले लिया और 50 हजार रूपया हमसे भी ले लिया। अपने भाई के शादी के समय आकर भी बिमलेश ने मुझसे 5,000.00 रूपया लिया। मेरे गॉव में बिमलेश के भाई का ससुराल है, इसलिए मैं इसे पहचानता हूॅ। वर्ष 2023 में मेरी बेटी का छेका हो गया जब छेका के बाद मै अपनी बेटी को पटना वाली बस पर चढ़ा दिया। जब अपनी बेटी को मैं फोन किया तो उसका मोबाईल स्वीचऑफ बताने लगा मेरे दामाद मुझे फोन कर कहे कि बिमलेश पुनम के साथ जहानाबाद में मारपीट कर रहा है। मैं बिमलेश के चचेरे भाई के साथ जहानाबाद आया और बिमलेश व अपनी बच्ची की खोजबिन करने लगा। मेरी बेटी ने किसी के मोबाईल से मुझे फोन किया तो मैं अपनी बेटी के बताये हुए जगह पर गया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी रो रही थी। मेरी बेटी ने कहा कि बिमलेश मेरा ईज्जत ले लिया अब मैं जिन्दा नहीं रहूॅगी। वहॉ से अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर गया। घटना के बारे में मेरी बेटी ने सभी को घर पर भी बताई। उसके 01 दिन के बाद मैं अपनी बच्ची को महिला थाना अरवल लेकर गया और वहॉ पर केस हुआ। लिखित आवेदन थाना प्रभारी ने लिखा। उसके दो दिन के बाद मेरी बेटी का विडियो वायरल कर दिया, विडियो वायरल कर मेरे होने वाले दामाद के मोबाईल पर भेज दिया। विडियो

वायरल करने में बिमलेश शामिल था। मेरी बेटी का मेडिकल जॉच और कोर्ट में गवाही भी हुआ था। लोक लाज के डर से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त बिमलेश को पहचानता हूँ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेरी बेटी के साथ हुई घटना को मैंने अपनी आंखो से नहीं देखा था। मुझे दिनांक 23.08.2023 को घ टना के बारे में पता चला था। दिनांक 23.08.2023 को मेरे परिवार या बच्ची के द्वारा न तो पुलिस व न्यायालय को कोई सूचना दी गई थी। घटना के संबंध में अगल–बगल के लोगों से कोई बात नहीं हुई थी। घटना की सूचना पाने के बाद कोई पंचायती घटना को लेकर गॉव में नहीं किया गया था। मेरी बच्ची को लेकर मेरी बच्ची कहॉ गई और कहॉ रहीं, इस संबंध में मैं कोई कागजी प्रमाण नहीं दे सकता हूँ। मै इस क्रम में पुछताछ किया तो बिमलेश का मौसा बताया कि मेरे घर के बगल में हीं बिमलेश रहता है। बिमलेश किस मकान में रहता है इसका पता मैंने नहीं किया था। घटना के बारे में पहली बार सूचना मिलने के दो दिनों के बाद मैंने थाना पर केस किया था। पुलिस में मेरा बयान 3–4 दिन बाद हुआ था। तारिख स्पष्ट रूप से याद नहीं है। घटना के संबधं में मैंने एक बयान थाना पर तथा दूसरा बयान संबंधित डी.एस.पी. के पास दिया था। मेरे अलावा उस दिन मेरी भाभी संगीता कुमारी का बयान एवं मेरी पत्नी शोभा देवी का बयान पुलिस द्वारा लिया गया था। मेरे द्वारा दिए गए पैसे व मेरे जमाई द्वारा दिए गए पैसे का कोई कागजी प्रमाण न्यायालय में नहीं दे सकता हूँ। पैसा देने वाली बात मैंने पुलिस को बताई थी। पुलिस को मैंने बताया था कि मैं बिमलेश के चचेरे भाई के साथ जहानाबाद आया और बिमलेश व अपनी बच्ची की खोजबिन करने लगा। मेरी बेटी ने किसी के मोबाईल से मुझे फोन किया तो मैं अपनी बेटी के बताये हुए जगह पर गया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी रो रही थी। पुलिस में मैंने बताया था कि मेरी बेटी ने कहा कि बिमलेश मेरा ईज्जत ले लिया अब मैं जिन्दा नहीं रहूँगी। ऐसी बात नहीं है कि मैनें पुलिस को उक्त बातें नहीं बताई थी। ऐसी बात नहीं है कि सूचिका का मेरी बेटी होने के कारण मै झुठी गवाही दे रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि बिमलेश के द्वारा मेरी बच्ची के साथ कोई घटना कारित नहीं की है। ऐसी बात नहीं है कि मेरी बेटी ने अभियुक्त के द्वारा किए गए घटना को लेकर ही मेरी बच्ची ने आत्महत्या नही की।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.08.203 को मैं महिला थाना अरवल में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थी। पुनम कुमारी के लिखित आवेदन पर पृष्ठांकन मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे देखकर पहचानती हूँ जिसे प्रदर्श P-3/PW6 अंकित किया जाता है। अरवल महिला थाना कांड संख्या 37/2023 की औपचारिक प्राथमिकी मेरे

लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे देखकर पहचानती हूँ, जिसे प्रदर्श P-4/PW6 अंकित किया जाता है। इस कांड की पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0 में मैंने दर्ज कराया था, जिसे देखकर पहचानती हूँ जिसपर पीड़िता ने अपना हस्ताक्षर किया था, जिसे देखकर पहाचानती हूँ, जिसे प्रदर्श P-5/PW6 अंकित किया जाता है। अरवल महिला थाना कांड संख्या 37/2023 कांड दर्ज करने के बाद कांड का अनुसंधान स्वयं ग्रहण की। भार ग्रहण करने के बाद वादिनी का पुनः बयान लिया। साक्षी सोभा देवी, जय प्रकाश शिव का बयान लिया उसके उपरान्त घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल ग्राम पॉचुबिगहा, स्थित दो मंजीला छतदार मकान है जिसका मुख्य दरवाजा उत्तर की ओर है जिसकी चौहदद निम्न प्रकार है– पूरब में बैजु यादव का मिट्टी खपरैल का मकान, उत्तर में नीज पीसीसी ढलाई ग्रामीण रोड एवं लालु यादव का ईंट का छतदार मकान, दक्षिण में रामप्रवेश यादव का धान लगा खेत व पश्चिम में रामप्रवेश यादव का ईंट खपरैल का मकान। ग्रामीण साक्षी संगिता कुमारी व रेखा कुमारी का बयान लिया। अभियुक्त विमलेश कुमार के ज्ञात हुआ कि बिमलेश कुमार तेलपा कांड संख्या 289, धारा 302, 304बी 201/34 में न्यायिक हिराशत में शहर तेलपा थाना में हिराशत में है तो थाना पर जाकर मैंने अभियुक्त का सफाई बयान लिया। पीड़िता का 164 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत बयान दर्ज करवाया और चिकित्सीय जॉच करवाया। मुदालय का नाम पता सत्यापन और अपराधिक ईतिहास प्राप्त किया उसके उपरान्त न्यायिक दण्डाधिकारी के यहॉ इस कांड में हिराशत में रखेने हेतु आवेदन किया। जिला आ0सूचना ईकाई अरवल से सी0डी0आर0 व एस0डी0आर एवं टी0एल0 प्राप्त किया जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मोबाईल संख्या 9905076851 के सीम धारक बिमलेश कुमार स्वय है एवं मोबाईल नंबर 7070011536 के अवलोकन से पता चला कि इस सीम के धारक पुनम कुमारी है जो स्वयं उपयोग करती है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादिनी व बिमलेश कुमार के बीच 30.01.2023 से 01.08.2023 तक 843 बार आपस में बाचचीत करने की पुष्टि हुई है। वादिनी का उम्र सत्यापन हेतु प्रोजेक्ट कन्या ईन्टर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक से अनुरोध कर लेटर पैड पर प्रमाण पत्र दिए, यह वही प्रमाण पत्र है जिसे देखकर मैं पहचानती हूँ जिसे प्रदर्श P-6/PW6 अंकित किया जाता है। वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में कांड का अनुसधान का भार अपर थानाध्यक्ष सरस्वती रंजन को सौंप दिया, जिन्होंने ने घटना को सत्य पाकर इस मामाले में आरोप पत्र संख्या 35/2023 दिनांक 24.11.2023 को अन्तर्गत धारा 376, 342, 506 के अन्तर्गत समर्पित किया गया यह आरोप पत्र सरस्वती रंजन के लेख व हस्ताक्षर में है, सरस्वती रंजन के लेख व हस्ताक्षर को देखकर मैं पहचानती हूँ सम्पूर्ण आरोप पत्र को प्रदर्श P-7/PW6 अंकित किया जाता है। अभियुक्त बिमलेश को मैं पहचानती हूँ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मैंने घटनास्थल का नजरी नक्शा नहीं बनाया है। मैंने अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के चौहददी के गवाह बैजु यादव, रामप्रवेश यादव इत्यादि का बयान नहीं लिया। मैंने अनुसंधान के क्रम में दो साक्षियों संगिता व रेखा का बयान लिया था, जिसने बताया कि हमलोग जीजा—साली के नाते हॅसी मजाक करते देखा था। अनुसंधान के क्रम में मेरे द्वारा फोटो वायरल करने से संबधित कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। ऐसी बात नहीं है कि मेरे द्वारा त्रुटिपूर्ण अनुसंधान किया गया है।

16. इस मामले में राज्य की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले को अभियोजन, संदेहों के परे स्थापित करने में सफल रहा है। अभियोजन ने अपने समर्थन में छः साक्षियों को परीक्षित कराया और उन साक्षियों के साक्ष्यों से अभियोजन कथानक पूर्णतः स्थापित हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि अभियुक्त के द्वारा इस मामले की सूचिका—सह—पीड़िता के साथ बलात्संग का अपराध कारित किया गया था तथा उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया गया था। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों में कोई विरोधाभाष नहीं है। अंत में उनके द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

17. अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपनी बहस में कहना है कि अभियोजन इस मामले को संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उनके द्वारा बहस में आगे कहा गया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 04. संगिता कुमारी व अभियोजन साक्षी संख्या 05. जयप्रकाश सिंह के साक्ष्यों में परस्पर तात्विक विरोधाभाष है, जिससे घटना का संदेहास्पद होना स्थापित हुआ है और इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा आगे कहा गया कि इस मामले की सूचिका—सह—पीड़िता द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उस लिखित आवेदन में पीड़िता ने घटना दिनांक 21.07.2023 के संबंध में अभियुक्त के द्वारा पटना में मारपीट कर सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लेने का उल्लेख किया है। सूचिका ने अपने लिखित आवेदन में अभियुक्त के द्वारा उसे जहानाबाद लेकर आने तथा कमरे में बन्द कर उसके साथ बलात्कार किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या 01, 04 व 05 जो कि पीड़िता के माता—पिता व उसकी चाची है, ने अपने साक्ष्यों में घटना दिनांक 21.07.2023 की होने तथा अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को जहानाबाद लाकर उसके साथ बलात्संग किए जाने का कथन

अपने साक्ष्यों में किया है, जिससे यह दर्शित होता है कि साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक से पूर्णतः विपरीत तथा घटना को बढ़ा चढ़ाकर अपने साक्ष्यों में दर्शाया गया है। उनके द्वारा बहस में आगे यह भी कहा गया कि प्रस्तुत मामले में घटना के करीब बीस दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई और विलंब का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिया गया, जो यह दर्शाता है कि प्राथमिकी सम्यक विचारोपरान्त दर्ज कराई गई। बहस में उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों ने अभियुक्त के द्वारा पीड़िता का अश्लील वायरल किए जाने का कथन किया है, परन्तु अनुसंधानकर्ता ने अपने साक्ष्य में वीडियो वायरल किए जाने के संबंध में साक्ष्य नहीं पाए जाने का उल्लेख किया है, जिससे अभियुक्त के द्वारा पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल किए जाने के तथ्य का समर्थन नहीं हो सका है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल ग्राम पॉचुबिगहा स्थित दो मंजीला छतदार मकान दर्शाया गया है, जो कि पीड़िता का घर है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने साक्ष्य में जहानाबाद में किसी घटनास्थल को नहीं दर्शाया गया है, जिससे भी अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को जहानाबाद में रखने के तथ्य की पुष्टि का होना दर्शित नहीं होता है। बहस में आगे यह भी कहा गया कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में पीड़िता के द्वारा लोक लाज के डर से आत्महत्या किए जाने का कथन किया है, परन्तु पीड़िता की मृत्यु के संबंध में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई हो, ऐसा अभियोजन दर्शित नहीं कर सका है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस मामले में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सकगण द्वारा अपने साक्ष्यों में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया है जिससे पीड़िता के साथ बलात्संग होने की सम्पूष्टि हो सके। बहस में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में प्राथमिकी में उल्लेखीत घटना से विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है, जिससे अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों का अविश्वसनीय होना दर्शित होता है।

अन्त में उनके द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

परिशीलन(Discussion)

18. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख व उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

19. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित नियम है कि अभियोजन पर यह प्राथमिक दायित्व होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेहो से परे

साबित करें। इसी प्रकार, यह भी सुस्थापित नियम है कि यदि अपराध के सम्बन्ध में कठोर दंड का प्रावधान है, तो वहॉ पर सबूत का स्तर भी उतना हीं उच्च अकाट्य एवं विश्वसनीय होना चाहिए। इस मामले में अभियोजन, अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को साबित करने में कहां तक सफल रहा है इसके लिए अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्यों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

20. प्रस्तुत मामले में इस मामले की सूचिका/पीड़िता के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर इस मामले के विचारित अभियुक्त बिमलेश के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

प्राथमिकी आवेदन के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्राथमिकी आवेदन में दो घटनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम घटना वर्ष 2021 की है, जिसके अनुसार, अभियुक्त पीड़िता के घर आता जाता था तथा वर्ष 2021 में हीं अभियुक्त के द्वारा सूचिका/पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया जाने लगा और उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया तथा विरोध करने पर विडियो वायरल करने की धमकी दिया गया।

दूसरी घटना यह है कि इसी क्रम में पीड़िता की शादी ग्राम सगाही जिला गया में तय हो गई तो उस लड़का से भी अभियुक्त सम्पर्क कर लिया। दिनांक 21.07.2023 को अभियुक्त पीड़िता को पटना में मारपीट करके सादे कागज पर हस्ताक्षर बनवा लिया और कहा कि उससे शादी करना होगा तथा उसके परिवार की ईज्जत बर्बाद करने की नीयत से उसका अश्लील वीडियो फेसबुक, इन्स्टाग्राम एवं शादी होने वाले लड़का के व्हाट्स एप्प पर वायरल कर दिया।

उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध में पीड़िता के द्वारा दिनांक 10.08.2023 को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया गया, जिस पर अभियुक्त बिमलेश कुमार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई।

अभियोजन द्वारा उपरोक्त कथानक को साबित करने के लिए कुल 06 साक्षियों को परीक्षित कराया गया हैं।

21. साक्ष्य समीक्षा के सर्वप्रथम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि यह साक्षी इस मामले की सूचिका–सह–पीड़िता की मॉ है तथा इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में घ टना दिनांक 21.07.2023 की होने का कथन किया है तथा कथन किया है कि बिमलेश कुमार उसके घर आता जाता था, क्योंकि बिमलेश उसके गॉव के गौतनी की बेटी का देवर है। बिमलेश अपने भाई के साथ भी आता जाता था। कुछ दिन

के बाद बिमलेश अकेले आने जाने लगा। इसी दौरान उसकी बेटी से बातचीत करने लगा। उसके बाद हमलोग से बोला कि यह इन्टर पास कर गयी है, इसका नाम जी.एन.एम., पटना में लिखवा दिजिए। बिमलेश कुमार और उसके पति ने उसकी बेटी का नाम जी.एन.एम. कॉलेज, पटना में करवा दिया। आगे कथन किया है कि पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद घर आयी तो उसके बाद दुसरी बार घर से कॉलेज जाते समय जब उसकी बेटी हार्डिंग पार्क गाड़ी से उतरी तो वहॉ बिमलेश कुमार मिला और उसकी बेटी से बोला कि चलो तुम्हें हॉस्टल में छोड़ देते है। इसपर उसकी बेटी उसके बाईक पर बैठ गयी और बिमलेश उसकी बेटी को हॉस्टल ले जाने बजाय जहानाबाद लेकर चले आया। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि जहानाबाद में उसकी बेटी को कमरे में बन्द करके रखा और गंभीर रूप से मारपीट किया और बिमलेश कुमार उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। किसी तरह उसकी बेटी मौका पाकर घर फोन की तो सूचना मिलने पर उसके पति व देवर जहानाबाद आये। उसके पति व देवर को देखकर बिमलेश वहॉ से भाग गया उसके बाद बेटी को लेकर वे लोग घर आ गये। बेटी, घर आने के बाद सारी घटना हमलोग से बतायी। आगे कथन किया है कि घ टना की जानकारी के बाद वे लोग बिमलेश को खोजने लगे तो बिमलेश इन लोगों को फोन से बोला कि लड़की की शादी उससे कर दिजिए नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे और जिससे शादी तय की है उस लड़के को वीडियो भेज देंगे। बिमलेश उसकी बेटी का वीडियो वायरल कर दिया। बिमलेश हमलोग पर झुठा आरोप लगाकर हमलोग पर केस किया था। इसके बाद उसकी बेटी थाना पर जाकर आवेदन दी थी। उसकी बेटी का बयान कोर्ट में हुआ और मेडिकल सदर अस्पताल, अरवल में हुआ था। उसने पुलिस को अपना बयान दिया था।

यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में पीड़िता के द्वारा दिए गए प्राथमिकी आवेदन से विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में वर्ष 2021 की घटना के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है, जबकि पीड़िता ने अपने प्राथमिकी आवेदन में वर्ष 2021 में अभियुक्त बिमलेश के द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने तथा उसका अश्लील वीडियो बनाने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार, पीड़िता ने अपने प्राथमिकी आवेदन में दिनांक 21.07.2023 में अभियुक्त के द्वारा पटना में उसके साथ मारपीट कर सादा कागज पर हस्ताक्षर बनवा लेने का उल्लेख किया है। पीड़िता ने अपने प्राथमिकी आवेदन में दिनांक 21.07.2023 को अभियुक्त के द्वारा उसे पटना से जहानाबाद लेकर आने तथा कमरे में बन्द कर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए जाने के किसी तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया है, जिससे इस साक्षी के द्वारा

दिए गए साक्ष्य व पीड़िता के द्वारा दिए गए प्राथमिकी आवेदन में उल्लेखित तथ्यों में तात्विक विरोधाभाषों का होना दर्शित हो रहा है, जिससे इस साक्षी के साक्ष्य का विश्वसनीय होना दर्शित नहीं होता है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को जहानाबाद में बंद करक गंभीर रूप से मारपीट करने का कथन किया है, परन्तु उसके उपरान्त भी तत्काल हीं घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई अपितु प्रस्तुत मामले में घटना के करीब बीस दिनों के बाद पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जो घटना कारित होने के सम्बन्ध में संदेहों को जन्म दे रहा है। इसी प्रकार, इस साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा वीडियो वायरल किए जाने का भी कथन किया है, परन्तु अभियोजन ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिससे वीडियों वायरल किए जाने की सम्पुष्टि हो सके।

अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का स्थापित होना नहीं पाता हूँ।

22. साक्ष्य समीक्षा के अग्रिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 04. संगीता कुमारी के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि इस मामले की पीड़िता इस साक्षी के गोतनी की लड़की है तथा इस साक्षी ने पीड़िता के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन को थाना के कर्मी सरस्वती भारती के द्वारा लिखने तथा पीड़िता के द्वारा उस आवेदन को पढ़कर व समझकर हस्ताक्षर बनाने का तथा उक्त हस्ताक्षर को पहचानने का कथन किया है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–2 के रूप में साबित कराया है। अर्थात् इस साक्षी के अनुसार, सूचिका/पीड़िता के द्वारा लिखित आवेदन को पढ़कर व समझकर अपना हस्ताक्षर बनाया गया था। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अग्रेत्तर कथन किया है कि घटना वर्ष 2023 की है। पीड़िता के साथ बिमलेश कुमार आता–जाता था और बिमलेश पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका विडियो बना लिया था। पीड़िता का जब शादी तय किया गया तो बिमलेश ने कहा कि शादी नहीं करो, नहीं तो वह उसका विडियो वायरल कर दुंगा। अन्त में बिमलेश ने पीड़िता का विडियो वायरल कर दिया। विडियो वायरल करने में बिमलेश व उसके कई दोस्त शामिल थे। विडियो वायरल कर देने के कारण लोक व लाज के डर से पीड़िता ने आत्महत्या कर ली।

इस साक्षी ने भी अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी के द्वारा दिए गए साक्ष्य की तरह हीं घटना वर्ष 2023 की होने का कथन किया है। इस साक्षी ने भी प्राथमिकी आवेदन में उल्लेखित वर्ष 2021 की घटना के संबंध में कोई कथन अपने साक्ष्य में नहीं किया है। इस साक्षी ने वर्ष 2023 में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ

शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा वीडियो वायरल कर देने का कथन किया है, जबकि पीड़िता के प्राथमिकी आवेदन में वर्ष 2023 में अभियुक्त के द्वारा उसके साथ

शारीरिक सम्बन्ध बनाने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यह दर्शित होता है कि इस साक्षी ने भी अभियोजन साक्षी संख्या 01 की तरह हीं अभियुक्त द्वारा बलात्संग किए जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकी आवेदन में उल्लेखित तथ्य से विरोधाभाषी कथन किया है, जिससे उक्त घटना का संदेहास्पद होना दर्शित हो रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को जहानाबाद लाकर कमरे में बन्द करके बलात्संग किए जाने का कथन किया है, जबकि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में ऐसे किसी तथ्य के बारे में कोई कथन नहीं किया है, जिससे साक्षियों के साक्ष्य में परस्पर व तात्विक विरोधाभाषों का होना दर्शित हो रहा है।

इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता का विडियो वायरल करने का कथन किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई विडियो विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस साक्षी ने विडियो वायरल कर देने के कारण लोक व लाज के डर से पीड़िता के द्वारा आत्महत्या कर लेने का भी कथन किया है तथा इस साक्षी ने पीड़िता का मृत्यु प्रमाण–पत्र भी दाखिल किया है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी, जो कि पीड़िता की मॉ है, ने अपने साक्ष्य में पीड़िता के द्वारा लोक लाज के डर से आत्महत्या कर लिए जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से दर्शित होता है कि पीड़िता की मृत्यु दिनांक 27.02.2024 को हुई है। इस मामले में प्राथमिकी आवेदन में यह उल्लेखित है कि दिनांक 21.07.2023 को अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर अश्लील विडियो फेसबुक, इन्टाग्राम, व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया गया। पीड़िता द्वारा घटना के सम्बन्ध में प्राथमिकी आवेदन 10. 08.2023 को दिया गया था और पीड़िता की मृत्यु दिनांक 27.02.2024 को हुई है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 ने लोक–लाज के डर से पीड़िता के द्वारा आत्महत्या करने का कथन किया है, परन्तु जब अभियुक्त द्वारा उसका विडियो वायरल किया गया तब भी पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी करीब 20 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी और बिलम्ब का कोई कारण अपने प्राथमिकी आवेदन में उल्लेखित नहीं किया। ऐसी स्थिति में लोक लाज के डर से पीड़िता के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया हो, ऐसा दर्शित नहीं होता है। पीड़िता की मृत्यु के बाद पीड़िता के परिवार वालों ने उसकी मृत्यु होने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध में कोई प्राथमिकी

दर्ज करायी हो, ऐसा कोई तथ्य अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से घटना को संदेह से परे स्थापित नहीं होना पाता हूॅ।

23. साक्ष्य समीक्षा के अग्रिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 05. जयप्रकाश सिंह के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि यह साक्षी इस मामले की सूचिका–सह–पीड़िता का पिता है तथा इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि पीड़िता इन्टर पास थी। बिमलेश कुमार नर्सिंग चेतन्या कॉलेज में नामांकन के नाम पर पटना गांधी मैदान 10 नंबर गेट के पास लेकर गया। वहॉ जाने के बाद वह अपनी बेटी को साथ में लेकर अपने घर चला आया नामांकन में पॉच हजार रूपया लगा था। इसी क्रम में उसकी बेटी से बात चीत करने लगा।

इस साक्षी ने बेटी का एडमीशन करने के दौरान अभियुक्त के द्वारा उसकी बेटी से बातचीत करने का कथन किया है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी, जो कि इस साक्षी की पत्नी है, ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त को पहले से अपने घर पर आने जाने तथा आने जाने के क्रम में पीड़िता के साथ बातचीत करने का कथन किया है, जो विरोधाभाष को दर्शित कर रहा है।

इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में आगे कथन किया है कि शादी के छेका में बिमलेश गया और उसके होने वाले जमाई से 80 हजार रूपया नर्सिंग में नामांकन के नाम पर ले लिया और 50 हजार रूपया उससे भी ले लिया। अपने भाई के शादी के समय आकर भी बिमलेश ने उससे 5,000.00 रूपया लिया। जबकि सूचिका/पीड़िता के प्राथमिकी आवेदन में अभियुक्त के द्वारा पैसा लिए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार, अभियेाजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी व 04. संगिता देवी ने भी अपने साक्ष्यों में अभियुक्त के द्वारा पैसा लिए जाने के सम्बन्ध ा में कोई कथन नहीं किया है, जिससे साक्षियों के साक्ष्य में परस्पर व तात्विक विरोधाभाषों का होना दर्शित हो रहा है। आगे कथन किया है कि वर्ष 2023 में उसकी बेटी का छेका हो गया। छेका के बाद वह अपनी बेटी को पटना वाली बस पर चढ़ा दिया। जब अपनी बेटी को वह फोन किया तो उसका मोबाईल स्वीचऑफ बताने लगा। उसके दामाद उसे फोन कर कहे कि बिमलेश, पीड़िता के साथ जहानाबाद में मारपीट कर रहा है। वह बिमलेश के चचेरे भाई के साथ जहानाबाद आया और बिमलेश व अपनी बच्ची की खोजबिन करने लगा। बेटी ने किसी के

मोबाईल से उसे फोन किया तो वह अपनी बेटी के बताये हुए जगह पर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी रो रही थी। उसकी बेटी ने कहा कि बिमलेश उसका ईज्जत ले लिया अब वह जिन्दा नहीं रहेगी। वहॉ से अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर आया। घटना के बारे में उसकी बेटी ने सभी को घर पर भी बताई। उसके 01 दिन के बाद वह अपनी बच्ची को महिला थाना अरवल लेकर गया और वहॉ पर केस हुआ। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने अपने प्राथमिकी आवेदन में अभियुक्त के द्वारा उसे जहानाबाद में लाकर रखने तथा वहॉ पर मारपीट कर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा उसके पिता के द्वारा उसे जहानाबाद से लेकर आने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि इस साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक से पूर्णतः विपरीत तथा नवीन तथ्यों का उल्लेख अपने साक्ष्य में किया है, जिससे इस साक्षी के साक्ष्य का संदेहास्पद होना दर्शित हो रहा है। इसी तरह अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी, जो कि इस साक्षी की पत्नी तथा पीड़िता की मॉ है, ने अपने साक्ष्य में बेटी के द्वारा घर पर फोन किए जाने का कथन किया है तथा सूचना मिलने पर अपने पति व देवर को जहानाबाद आने तथा उनको देखकर अभियुक्त को वहॉ से भाग जाने का कथन किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अपने दामाद के द्वारा फोन पर सूचना दिए जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 04. संगीता कुमारी, जो कि इसी साक्षी के परिवार की हीं सदस्या है, ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को जहानाबाद में रखने तथा मारपीट करने एवं वहॉ पर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने का कोई कथन नहीं किया है, जिससे साक्षियों के साक्ष्यों में परस्पर गंभीर व तात्विक विरोधाभाषों का होना दर्शित हो रहा है।

अग्रेत्तर इस साक्षी के साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि इस साक्षी ने अभियुक्त के चचेरे भाई के साथ जहानाबाद जाने का कथन किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा उक्त चचेरे भाई को परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं कराया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार, उसे अपने दामाद से अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को जहानाबाद में मारपीट किए जाने की सूचना मिली थी, परन्तु अभियोजन द्वारा उस दामाद को भी परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं कराया गया।

इस साक्षी ने घटना के एक दिन बाद थाना पर केस करने का कथन किया है, जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में दिनांक 23.08.2023 को घटना के बारे में पता चलने तथा दिनांक 23.08.2023 को उसके परिवार या बच्ची के द्वारा न तो पुलिस व न्यायालय को कोई सूचना नहीं देने का कथन किया है। इस साक्षी के साक्ष्य के

अनुसार, अभियुक्त के द्वारा उसकी बेटी को कमरे में बन्द करके रखा गया तथा जब यह साक्षी घटनास्थल पर पहुॅचा तो उसकी बेटी ने घटनास्थल पर हीं
अभियुक्त के द्वारा उसके साथ बलात्संग करने के संबंध में बता दिया था, उसके उपरान्त भी इस साक्षी के द्वारा तत्काल हीं घटना के संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी गई और न हीं इस संबंध में कोई कार्यवाई की , अपितु घटना के बीस दिनों के बाद पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिससे इस साक्षी के द्वारा दिए गए साक्ष्य से घटना घटित होने के सम्बन्ध में संदेहों का उत्पन्न होना दर्शित हो रहा है।

इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में प्राथमिकी दर्ज होने के दो दिन के बाद अभियुक्त के द्वारा उसकी बेटी का वीडियो वायरल करने तथा वायरल वीडियो दामाद के मोबाईल पर भेजने का कथन किया है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 1. शोभा देवी, ने अपने साक्ष्य में वीडियों वायरल कर दिए जाने के बाद थाना पर उसकी बेटी के द्वारा केस किए जाने का कथन किया है, जो साक्षियों के साक्ष्यों मे तात्विक विरोधाभाषों को दर्शित कर रहा है। विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा भी कोई विडियो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अश्लील वीडियो के वायरल किए जाने की पुष्टि नहीं हुई।

इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में लोक लाज के डर से बेटी के द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का भी कथन किया है, जबकि इस साक्षी की पत्नी तथा पीड़िता की मॉ, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी है, ने अपने साक्ष्य में पीड़िता के द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित घटना के करीब बीस दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज करायी गई और विलम्ब का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया। पीड़िता के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी मृत्यु दिनांक 27.02.2024 को हुई है, तो इतने दिन के बाद उक्त घटना को लेकर आत्महत्या कर लिया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पीड़िता के द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गयी हो ऐसा अभियोजन दर्शित नहीं कर सका है।

अतः इस साक्षी के साक्ष्य से घटना का संदेहों के परे स्थापित होना नहीं पाता हॅू।

24. अभियोजन द्वारा इस मामले में अभियोजन साक्षी संख्या 02. डॉ0 अशोक कुमार ओझा व अभियोजन साक्षी संख्या 03. डॉ0 काजल किरण को विशेषज्ञ साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। इन दोनों साक्षियों ने अपने साक्ष्य में दिनांक 11. 08.2023 को सदर अस्पताल, अरवल में पदस्थापित होना तथा उस दिन उपाधीक्षक

के आदेश पर मेडिकल बोर्ड का गठन किए जाने तथा उसमें डॉ0 उमेश प्रसाद के साथ–साथ अपने को भी बोर्ड का सदस्य होने का कथन किया है। डॉ0 अशोक कुमार ओझा ने अपने साक्ष्य में पीड़िता की उम्र 20 वर्ष होने का कथन किया है। डॉ0 काजल किरण के द्वारा अपने साक्ष्य में पीड़िता के आन्तरीक परीक्षण में हायमन लेअर का फटा होना तथा तत्कालीक शारीरिक ससंर्ग नहीं होने का कथन किया है। इस साक्षी ने भी पीड़िता की की उम्र करीब बीस वर्ष से अधिक हीं होने का कथन किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी पीड़िता के शरीर पर किसी तरह का संघर्ष का निशान नहीं होने तथा तत्कालीक शारीरिक संसर्ग का कोई चिन्ह नहीं पाए जाने का कथन किया है। इस साक्षी ने साईकिलिंग, भारी वजन उठाने, तथा तेज दौड़ने से हायमन के फट जाने का कथन किया है, साथ हीं यह भी कथन किया है कि हायमन का फटा होना बलात्कार होने का निर्णायक सबुत नहीं है।

इस प्रकार, उपरोक्त साक्षियों के सक्ष्यों से ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे पीड़िता के साथ बलात्कार होने के तथ्य की सम्पुष्टि हो सके।

25. साक्ष्य समीक्षा के अग्रिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले की अनुसंधानक है तथा इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में सूचिका के द्वारा दिए गए आवेदन पर पृष्ठांकन तथा औपचारिक प्राथमिकी अरवल महिला थाना कांड संख्या 37 / 2023 अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में होना व पहचानना कहा है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–3 एवं प्रदर्श पी–4 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी ने पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0 में उसके द्वारा दर्ज कराना तथा उसपर पीड़िता के हस्ताक्षर को पहचानने का कथन किया है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–5 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी ने वादिनी का उम्र सत्यापन हेतु प्रोजेक्ट कन्या ईटर विद्यालय के प्रभारी, प्रधानाध्यापक के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को पहचानने का कथन किया है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–6 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी ने इस मामले में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त बिमलेश कुमार के विरूद्ध घटना सत्य पाकर अन्तर्गत धारा 376, 342, 506 भा0द0वि0 में आरोप पत्र संख्या 35 / 2023, दिनांक 24.11.2023 न्यायालय में समर्पित करना कहा है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–7 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में घटनास्थल का निरीक्षण करने का कथन किया है। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार, इस कांड का घटनास्थल ग्राम पॉचुबिगहा, स्थित दो मंजीला छतदार मकान है जिसका मुख्य दरवाजा उत्तर की ओर है जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है– पूरब में बैजु यादव का मिट्टी खपरैल का मकान, उत्तर

में नीज पीसीसी ढलाई ग्रामीण रोड एवं लालु यादव का ईंट का छतदार मकान, दक्षिण में रामप्रवेश यादव का धान लगा खेत व पश्चिम में रामप्रवेश यादव का ईंट खपरैल का मकान है।

इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में जिस घटनास्थल का उल्लेख किया है, वह पीड़िता का अपना घर है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या 01. शोभा देवी व अभियोजन साक्षी संख्या 05. जय प्रकाश सिंह, जो कि पीड़िता के माता व पिता है, ने अपने साक्ष्यों में घटनास्थल जहानाबाद में होने का कथन किया है, परन्तु अनुसंधान –कर्ता द्वारा इस घटनास्थल का कोई उल्लेख अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है। साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्यों में जहानाबाद में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को मकान में रखने का कथन किया गया है, परन्तु अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने साक्ष्य में उक्त मकान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है, जिससे अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को जहानाबाद में लाकर कमरे में बन्द कर रखने व वहॉ पर उसके साथ बलात्संग किए जाने के तथ्य का स्थापित होना दर्शित नहीं हो रहा है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता का वीडियो वायरल किए जाने का कथन किया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य में फोटो वायरल करने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य नहीं पाए जाने का कथन किया है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल किए जाने के तथ्य का सम्पुष्टिकरण नहीं हो सका है, जिससे अश्लील वीडियो के वायरल किए जाने के तथ्य का साबित होना नहीं पाता हूँ।

अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान के कम में पीड़िता की जिस व्यक्ति से शादी तय हुई थी और जिसके व्हाट्सएप पर अभियुक्त के द्वारा अश्लील वीडियो भेजना कहा गया है, उसका भी कोई बयान नहीं लिया गया है। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ता द्वारा उस व्यक्ति का भी बयान नहीं लिया गया है, जिसको की पीड़िता के पिता के साथ जहानाबाद, पीड़िता को खोजबीन करने आना कहा गया है। यह साक्षी औपचारिक प्रकृति का साक्षी है और इस साक्षी के साक्ष्य से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं आया है, जिससे घटना की सम्पुष्टि हो सके।

अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का स्थापित होना नहीं पाता हूँ।

26. प्रस्तुत मामले में सूचिका–सह–पीड़िता को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है। पीड़िता के द्वारा इस मामले में प्राथमिकी आवेदन दिया गया था, जिसपर प्रस्तुत मामला पंजीकृत हुआ है। पीड़िता के द्वारा दिए गए प्राथमिकी आवेदन में वर्ष 2023 की घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त के द्वारा पटना

में मारपीट करके सादा कागज पर हस्ताक्षर कराने तथा फेसबुक, इन्टाग्राम तथा शादी होने वाले लड़का के व्हाट्सएप पर अश्लील विडियो वायरल करने का उल्लेख है। पीड़िता ने अपने प्राथमिकी आवेदन में दिनांक 21.07.2023 को अभियुक्त के द्वारा उसको जहानाबाद लाकर कमरे में बन्द कर उसके साथ बलात्संग करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता के अनुसार अभियुक्त के द्वारा उसका अश्लील विडियो फेसबुक, इन्टाग्राम व जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी, उसके व्हाट्सएप पर भी वायरल कर दिया गया था, उसके बावजूद भी पीड़िता के द्वारा करीब बीस दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज करायी गई और बिलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया।

पीड़िता का अनुसंधान के क्रम में सी0आर0पी0सी0 की धारा 164 के अन्तर्गत बयान न्यायालय में दर्ज हुआ है। इस मामले की अनुसंधानकर्ता, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 06. सरस्वती कुमारी है, ने अपने साक्ष्य में उक्त बयान पर पीड़िता के हस्ताक्षर को पहचानना कहा है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–6 के रूप में साबित कराया है, जो कि अभिलेख पर उपलब्ध है। उक्त बयान के अवलोकन से दर्शित होता है कि पीड़िता ने अपने धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में अपने दिए गए प्राथमिकी आवेदन से विपरीत घटना का उल्लेख किया है। पीड़िता ने अपने बयान में अभियुक्त को उससे हार्डिंग पाक, पटना में मिलना तथा उसे जहानाबाद लाने तथा मारपीट कर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का कथन किया है। यह भी कथन किया है कि अभियुक्त के द्वारा चेहरा पर मारपीट कर घ ााव कर दिया गया और रूम में बन्द कर दिया तथा उसका विडियो बनाया। इस साक्षी ने अपने धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में आगे कथन किया है कि अपने से शादी करने के लिए बोला तथा बालवीर नामक लड़का को फोन कर उसकी बहन को उठाने को बोला तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि कॉल करने के लिए बोला तब नहीं बात कि तो उसका फोटो फेसबुक, इन्सटाग्राम आदि पर बाजारू लड़की बता कर वायरल कर दिया।

यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने अपने धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में अभियुक्त के द्वारा मारपीट कर चेहरा पर घाव कर देने का कथन किया है, उसके वाबजूद भी पीड़िता के द्वारा तत्काल अपना चिकित्सीय परीक्षण कहीं नहीं कराया गया। इसी प्रकार, यह विचार किए जाने योग्य बिन्दु है कि पीड़िता ने अपने धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में अभियुक्त के द्वारा दिनाक 21.07. 023 को उसको जहानाबाद लाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा कमरे में बन्द कर देने का कथन किया है, परन्तु पीड़िता ने अपने प्राथमिकी

आवेदन में इस तरह के किसी कृत्य का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे पीड़िता के धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में उल्लेखित किए गए तथ्यों का अविश्वसनीय होना दर्शित हो रहा है।

यदि घटना के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज कराया जाए तो यह माना जा सकता है कि उसमें कुछ तथ्यों का भुलाव हो सकता है, परन्तु प्रस्तुत मामले में तो घटना के करीब 20 दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज करायी गई और उसके बावजूद भी प्राथमिकी आवेदन में दिनांक 21.07.2023 को अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को जहानाबाद लेकर आने, उसे कमरे में बन्द कर रखने का तथा जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने का उल्लेख न किया जाए, स्वंय में घोर आश्चर्य उत्पन्न करता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता अपने प्राथमिकी आवेदन में अभियुक्त के द्वारा उसके साथ वर्ष 2021 में शारीरिक सम्बन्ध बनाने का उल्लेख करती है, परन्तु अपने धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में वर्ष 2021 में इस घटना के बारे में कोई उल्लेख नहीं करती है। यहॉ तक इस मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए किसी भी साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में वर्ष 2021 में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किए जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है।

यह न्यायालय, इस तथ्य से भी पूर्णतया अवगत है कि प्राथमिकी घटना का विश्वकोष नहीं होती है, जिसमें घटना से सम्बन्धित हर छोटी चीजों का उल्लेख हो, परन्तु प्राथमिकी में उन तथ्यों का तो समावेश होना अत्यन्त हीं आवश्यक है, जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है और जो घटना की आधारशिला हो। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षीगण 21.07.2023 को अभियुक्त द्वारा पीड़िता के द्वारा बलात्संग करने का कथन अपने साक्ष्य में देते है, परन्तु स्वंय पीड़िता के द्वारा हीं इस तथ्य का कोई उल्लेख प्राथमिकी आवेदन में नहीं किया गया है, जबकि प्राथमिकी घटना के करीब बीस दिनों के बाद दर्ज कराई गई है अर्थात् सोच समझकर हीं प्राथमिकी दर्ज कराई गई होगी, उसके उपरान्त भी प्राथमिकी में दिनांक 21.07.2023 की घटना के संबंध में पटना में केवल मारपीट कर सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया जाना उल्लेखित है, उसमें अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को जहानाबाद लाकर उसके साथ बलात्संग किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जिस मकान में पीड़िता को अभियुक्त के द्वारा बन्द कर बलात्संग करना कहा गया है, उक्त मकान किसका था, किस जगह पर था, उसकी चौहद्दी क्या थी, इस संबंध में कोई साक्ष्य अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा है कि पीड़िता को जहानाबाद में लाकर कमरे में बन्द कर घटना कारित किया गया था। अभियोजन साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्यों में उक्त घटना को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है, जिससे साक्षियों के साक्ष्यों का अविश्वसनीय होना दर्शित होता है।

27. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक अवलोकन, परिशीलन व समीक्षा के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि इस मामले में अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। आपराधिक विधि में अभियोजन कि यह महती जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मामले को सभी प्रकार के युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करें। यदि अभियोजन अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में असफल रहता है तो अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है।

28. अतः अभियुक्त बिमलेश कुमार को उसके विरूद्ध विरचित आरोपों अंतर्गत धारा 376, 342, 506 भा0द0वि0 से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में मण्डल कारा, जहानाबाद में निरूद्ध है तथा आज न्यायालय में उपस्थित है।

29. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त बिमलेश कुमार का अविलंब रिहाई आदेश मण्डल कारा, जहानाबाद प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

30. कार्यालय लिपिक को यह भी आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम।
जहानाबाद।
दिनांकः–30.04.2026

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम।
जहानाबाद।
दिनांकः–30.04.2026